

Mobile No.....

Aadhaar no.....

JHRC/20.../.....

Date:-

स्थानीय-निवासी प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र
20,.....

(1) आवेदक का नाम

Applicant's Name

(2) आवेदक के पिता/पति का नाम

Applicant Father's/Husband's Name

(3) आवेदक का जन्म तिथि लिंग/Gender M F

(4) आवेदक का स्थायी पता

गाँव / नगर डाकघर

थाना..... प्रखण्ड..... वार्ड न.

पंचायत/नगर पंचायत..... जिला..... उपखण्ड..... पिन कोड

Vill..... Post..... Thana.....

Block..... Ward No..... Panchayat/Nagar panchayat

District..... Sub Divison..... PIN Code

(5) स्थानीय निवासी होने का आधार (सही पर टिक करें)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं 3198 दिनांक 18.04.16 की कंडिका 2 में उल्लिखित शर्त

- झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञापन करता हो।
- झारखण्ड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्ति एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञापन करता हो।
- भारत सरकार का पदाधिकारी / कर्मचारी जो झारखण्ड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञापन करता हो।
- झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञापन करता हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखण्ड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञापन करता हो।

स्थानीय-निवासी प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र
20.....

(6) आवेदक द्वारा घोषणा पत्र

- 1 क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र है ? हाँ/yes नहीं/no
- 2 क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खतियान मे दर्ज है ? हाँ/yes नहीं/no
- 3 क्या आपके माता/पिता भूमिहीन हैं ? हाँ/yes नहीं/no
- 4 क्या आप झारखण्ड मे प्रचलित भाषा, संस्कृति,परम्परा से अवगत हैं ? हाँ/yes नहीं/no
- 5 क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं ? हाँ/yes नहीं/no
- 6 क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा झारखण्ड राज्य में पदस्थापित है ? हाँ/yes नहीं/no
- 7 क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड सरकार में किसी संवैधानिक/विधिक पद पर आसीन हैं ? हाँ/yes नहीं/no
- 8 क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है ? हाँ/yes नहीं/no
- 9 क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त किया है ? हाँ/yes नहीं/no
- 10 क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पति अर्जित की है ? हाँ/yes नहीं/no

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञान

मैंपिता/पति.....पता.....
ग्राम.....ग्राम पंचायत.....प्रखण्ड.....
डाकघर थाना.....जिला.....राज्य झारखण्ड ग्राम/वार्ड/ शहर पो.....
थाना.....जिला.....का स्थायी निवासी हूँ और मैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3198, दिनांक 18.04.2016 की कंडिका-2 की उप कंडिका में उलेखित शर्तों के आधार पर झारखण्ड राज्य के निवासी की शर्त पूरी करता हूँ । (समर्थन में दस्तावेज की स्व-सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छायाप्रति संलग्न)

2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता /करती हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य /केन्द्र शासित क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं हूँ और झारखण्ड राज्य मे रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता/करती हूँ ।
3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार (सक्षम पदाधिकारी) प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जांच में असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कारवाई करने के लिए सक्षम होगी ।

अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर